

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0)



क्रमांक: डीसीडीसी/सम्ब./2018-19/2377

विश्वविद्यालय कार्यालय,
सागर, दिनांक 26.06.2018

प्रति,

प्राचार्य,
संबद्ध समस्त महाविद्यालय,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

विषय : वार्षिक सम्बद्धता-निरन्तरता शुल्क सत्र 2018-19 के भुगतान विषयक ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि परिनियम 27 की कण्डिका 13(3)(ii) के प्रावधानानुसार महाविद्यालयों से संबद्धता-निरन्तरता शुल्क 31 जुलाई तक प्रतिवर्ष इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए । यदि 31 जुलाई तक संबद्धता-निरन्तरता शुल्क प्राप्त नहीं होती है तो परिनियम 27(13)(3)(iii) के अनुसार संबद्धता शुल्क की कुल देय राशि पर 25 प्रतिशत अधिभार सहित 31 अक्टूबर तक भुगतान करने की अनुमति कुलपति जी द्वारा प्रदान की जाती है । इसके बावजूद यदि फिर भी अधिभार सहित संबद्धता-निरन्तरता शुल्क का भुगतान 31 अक्टूबर तक प्राप्त नहीं होता तो बाध्य होकर महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही का प्रावधान है ।

परिनियम क्रमांक 27 की कण्डिका 13(3)(ii)

- Rs. 10000/- per faculty for the Bachelor's degree other than professional courses, Rs. 16000/- per faculty for Bachelor Degree Diploma in Professional Courses.
- Where the affiliation of such colleges or institution is also in respect of Master Degree fee in addition thereto shall be payable as mentioned below :-
Rs. 10000/- per subject in any of the Faculties covered by item (a) above other than professional courses Rs. 20,000/- for P.G. Professional Courses.

"व्यवसायिक पाठ्यक्रम विषयों की इंडक्शन फीस का 15 प्रतिशत संबद्धता शुल्क भी देय है"

महाविद्यालय को सम्बद्धता एवं निरन्तरता शुल्क पर 18% की दर से GST देय होगा । जिससे महाविद्यालय को सम्बद्धता एवं निरन्तरता शुल्क के साथ ही जमा करना होगा ।

अतः सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार सत्र 2018-19 की वार्षिक सम्बद्धता-निरन्तरता शुल्क विश्वविद्यालय के चालान (IDBI BANK) द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक आवश्यक रूप से जमा कर चालान की मूलप्रति विश्वविद्यालय भेजना सुनिश्चित करें ।

संवालक

महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि

✓ प्रोफेसर इंवारज, आई.टी.सेल -- को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

संवालक

महाविद्यालयीन विकास परिषद

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मोप्रो)

क्रमांक डीसीडीसी/2017/2212


विश्वविद्यालय कार्यालय
सागर, दिनांक 13/12/2017

अधिसूचना :

विद्या परिषद की 15वीं बैठक दिनांक 10.11.2017 के पद क्रमांक AC:15:SA(7) में लिये गये निर्णयानुसार सबद्ध महाविद्यालयों से ली जाने वाली सबद्धता एवं निरन्तरता शुल्क में वृद्धि कर सत्र 2018-19 से लागू की जाती है। सबद्धता एवं निरन्तरता शुल्क में निम्नांकित सशोधन कर वृद्धि की गई है :

क	परिनियम का विद्यमान प्रावधान	विद्यमान शुल्क	सशोधित शुल्क
1.	For Under Graduate Courses- other than professional courses		
	Opening one faculty not more than four subjects	10,000	20,000
	For each additional faculty with not more than four subjects	5,000	10,000
	For each additional subject	2,000	4,000
2.	For Post Graduate Courses- other than professional courses		
	For faculty with not more than four subjects	15,000	30,000
	For additional subject	3,000	6,000
3.	For Under Graduate professional courses		
	Additional courses for professional undergraduate courses (per course)	25,000	50,000
	For P.G. Professional courses (per course)	50,000	1,00,000
4.	For Continuation of annual affiliation fees		
	Per Faculty for the Bachelor's degree	5,000	10,000
	Professional courses- per faculty for Bachelor Degree/Diploma	8,000	16,000
	Master's degree- per subject	5,000	10,000
	P.G. Professional Course	10,000	20,000
5.	Induction fee for opening professional college/Course/subject		
	B.C.J.	15,000	30,000
	B.Lib.	25,000	50,000
	B.P.Ed.	25,000	50,000
	B.B.A.	50,000	1,00,000
	B.C.A.	25,000	50,000
	LL.B.	30,000	60,000
	B.Ed.	50,000	1,00,000
	B.Sc. Industrial Micro-Biology/Micro-Biology	25,000	50,000
	Other Vocational Courses	---	---
6.	Annual affiliation (Continuation) fee @ 15% of induction fee will be charged	1,000	2,000
7.	Application fee for affiliation	15,000	30,000
8.	Permanent affiliation fee - each Course/Subject (Post graduate)		


आदेशानुसार,


कुलसचिव (13/12/2017)

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रतिलिपि:-

- 1 प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु।
- 2 वित्ताधिकारी, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर - को सूचनार्थ
- 3 परीक्षा नियंत्रक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर- को सूचनार्थ
- 4 कुलपति जी के निजी सचिव/कुलसचिव जी के निजी सहायक- को सूचनार्थ।
- 5 प्रभारी, वेबसाइट विश्वविद्यालय- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


26.6.18


कुलसचिव (13/12/2017)

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर